न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 25/2014

बउनवान

सरकार जर्ये तहसीलदार, मांगरोल जिला–बारां (राज0 **(प्रार्थी)**

बनाम

सचिव, ग्राम पंचायत रायथल, तहसील मांगरोल, जिला बारां (राज0) **(अप्रार्थी)**

रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :– 1. पेरोकार सरकार **(प्रार्थी)**

आदेश दिनांक– 29.08.2022

1– प्रार्थी सरकार जर्ये तहसीलदार, मांगरोल ने रेफरेंन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम रायथल में सेटलमेन्ट सम्वत 2014–2023 के अनुसार ग्राम रायथल की जमाबन्दी सम्वत 2014–2023 में खसरा नं. 690 रकबा 30 बीघा 16 बिस्वा किस्म गै.मु. तलाब दर्ज रिकार्ड है। वर्तमान सेटलमेन्ट सम्वत 2044–2063 में भू.प्रबन्ध विभाग द्वारा दौराने बन्दोबस्त कार्य मिलान क्षेत्रफल के अनुसार नवीन खसरा नं. 1466 रकबा 1.12 है. किस्म नहरी । कायम किये जाकर अवैधानिक रूप से ग्राम पंचायत रायथल तहसील मांगरोल के खाते दर्ज कर दिया है, जो भू. राजस्व अधिनियम की धारा 88 के प्रावधानों के विपरित तथा अवैधानिक है। प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी.बी.रिट संख्या 1536/2003 निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी ऐसी भूमि के आवंटनों को विधि विरूद्व मानते हुए आवंटन निरस्त किये जाने के निर्देश दिये गये है।

उक्त आवंटन/नियमन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–16 के तहत अवैधानिक है तथा डी0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004 अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त आवंटन/नियमन को शून्य घोषित कर भूमि पूर्ववत तलाई राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

2– प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से ग्राम विकास अधिकारी उपस्थित हुए परन्तु इसके पश्चात बावजूद सूचना निरन्तर अनुपस्थित रहे हैं। अतः हमने एकपक्षीय बहस पेरोकार सरकार की सुनकर प्रकरण का निस्तारण करने का विनिश्चिय किया।

3– हमने एक पक्षीय बहस पेरोकार सरकार की सुनी। बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम रायथल में सेटलमेन्ट 2014–2023 के अनुसार ग्राम रायथल की बन्दोबस्त जमाबन्दी सम्वत 2014–2023 में खसरा नं. 690 रकबा 30 बीघा 16 बिस्वा किस्म गै.मु. तलाब दर्ज रिकार्ड है। वर्तमान सेटलमेन्ट 2044–2063 में भू.प्रबन्ध विभाग द्वारा मिलान क्षेत्रफल के अनुसार नवीन खसरा नं. 1466 रकबा 1.

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज0)
जिला कलक्टर बारां (राज0)
Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.09.19 11:04:57 IST
Reason: SelfAttested

12 है. किस्म नहरी I कायम किये जाकर अवैधानिक रूप से अप्रार्थी के खाते दर्ज कर दिया है, जो भू. राजस्व अधिनियम की धारा 88 के प्रावधानों के विपरित तथा अवैधानिक है। उक्त आवंटन/नियमन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–16 के तहत अवैधानिक है तथा डी0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004 अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त आवंटन/नियमन को शून्य घोषित कर भूमि पूर्ववत तलाई राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

4– हमने एक पक्षीय पेरोकार सरकार पर मनन किया जथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि ग्राम रायथल में सेटलमेन्ट 2014–2023 के अनुसार ग्राम रायथल की बन्दोबस्त जमाबन्दी सम्वत 2014–2023 में खसरा नं. 690 रकबा 30 बीघा 16 बिस्वा किस्म गै.मु. तलाब दर्ज रिकार्ड है, एवं सेटलमेन्ट 2044–2063 में भू.प्रबन्ध विभाग द्वारा मिलान क्षेत्रफल के अनुसार नवीन खसरा नं. 1466 रकबा 1.12 है. कायम किये जाकर उक्त भूमि को अवैधानिक रूप से अप्रार्थी के खाते दर्ज कर दिया। इस प्रकार जिस वक्त भूमि आवंटित/नियमन की गयी थी उस वक्त विवादित आराजी किस्म गै.मु. तलाब खाता सरकार दर्ज थी, जो आवंटन/नियमन योग्य भूमि नहीं थी। अप्रार्थी को उक्त आराजी का आवंटन/नियमन नियम विरूद्व हुआ है। तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 में ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। इसलिये हम उक्त आवंटन/नियमन को विधि विरूद्व मानते हुए, आवंटन/नियमन निरस्त करने के लिये रेफरेंन्स माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में अग्रेषित किया जाना उचित समझते है।

5– परिणामस्वरूप, प्रार्थी जर्ये तहसीलदार, मांगरोल का रेफरेन्स प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, अप्रार्थी के वर्तमान में वाके ग्राम रायथल में दर्ज आराजी खसरा नंबर 1466 रकबा 1.12 है. किस्म नहरी I को जो मूल रूप से सेटलमेन्ट पूर्व खसरा नंबर 690 रकबा 30 बीघा 16 बिस्वा किस्म गै.मु. तलाब से बना है जिसका ग्राम पंचायत रायथल को गलत रूप से आवंटन/नियमन हुआ है, आवंटन/नियमन निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा–82 के अन्तर्गत रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रेषित किया जावे। इस हेतु तहसीलदार मांगरोल को आदेश दिये जाते है कि इस न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त कर, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर, अन्दर मियाद रेफरेंस प्रस्तुत करे तथा सावचेत होकर प्रकरण में पैरवी सुनिश्चित करे।

7– तहसीलदार, मांगरोल को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत आवंटित आराजी जो वर्तमान में अप्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है। जमाबन्दी खाते पर रेफरेंन्स होने का नोट लाल स्याहीं से राजस्व रेकार्ड में अंकित करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.09.19 11:04:57 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 29.08.2022 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलेक्टर
बारां (राज०)

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)